

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.1(4)(1)नपा/रानिआ/14/1418

दिनांक : 05.02.2026

—:: आदेश ::—

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 25 की उप-धारा (5) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार उस समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन निवारक-निरोध में रखे गए किसी भी व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है।

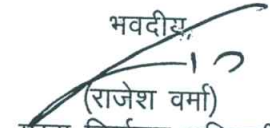
राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के द्वारा मतदान के लिये प्रक्रिया विहित नहीं होने के कारण राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 97 के अन्तर्गत कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निवारक निरोध के अध्यक्षीन व्यक्तियों के लिये नगरपालिका सदस्य पद के निर्वाचनों में मत अभिलिखित करने के लिए आदेश क्रमांक 4200 दिनांक 21.10.2019 जारी किये गये थे।

उक्त आदेश क्रमांक 4200 दिनांक 21.10.2019 को अधिकमित करते हुए आयोग निम्नांकित निर्देश प्रदान करता है:-

- (1) कोई भी निर्वाचक अथवा प्राधिकृत अधिकारी (जिसकी अभिरक्षा में वह हो), जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यक्षीन है, नियम 11 के अधीन लोक नोटिस के जारी होने की तारीख से 7 दिन के अन्दर किसी भी समय डाक मतपत्र द्वारा मत देने के अपने आशय की एक लिखित सूचना, रिटर्निंग अधिकारी को दे सकेगा,
- (2) ऐसी प्रत्येक सूचना में, निर्वाचक का नाम, उसका पता तथा निर्वाचक की क्रम संख्या और उसके निवारक निरोध में रहने के स्थान की जानकारी अंकित की जायेगी,
- (3) यदि रिटर्निंग अधिकारी को समाधान हो जाये कि वह व्यक्ति जिसने उपखण्ड (1) के अधीन सूचना दी है, निवारक निरोध के अध्यक्षीन है तथा वह निर्वाचन में मत देने का हकदार है तो वह ऐसे व्यक्ति का मत डाक के माध्यम से प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा,
- (4) रिटर्निंग अधिकारी, ऊपर वर्णित बिन्दुओं के अधीन मत देने के हकदार ऐसे प्रत्येक मतदाता को, यथा साध्य शीघ्रता से डाक द्वारा या व्यक्तिशः डाक मतपत्र सुपुर्द करवाने हेतु कार्यवाही करेगा,
- (5) निवारक निरोध में निरुद्ध मतदाताओं को मत अभिलिखित करने के लिए आयोग द्वारा विहित किए गए प्ररूप में डाक मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा।
- (6) डाक मतपत्र भेजने के पहले उसे मतपत्र के प्रतिपर्ण (Counterfoil) पर मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में प्रविष्ट उस मतदाता की क्रम संख्या तथा मतदाता सूची की भाग संख्या अभिलिखित कर देनी चाहिये। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में सम्बन्धित मतदाता के नाम के सामने शब्द 'डाक मतपत्र' (P.B.) यह उपदर्शित करने के लिये लिख दें कि उस मतदाता को मतपत्र जारी कर दिया गया है किन्तु उसमें उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अभिलिखित न की जावे। रिटर्निंग अधिकारी को जारी किये गये डाक मतपत्रों के प्रतिपर्णों को एक अलग पैकेट में मुहरबन्द कर उस पैकेट पर उसमें रखी गयी वस्तु का संक्षिप्त विवरण और मुहरबन्द करने की दिनांक अंकित कर अन्य मुहरबन्द निर्वाचन अभिलेख के साथ रखवा देना चाहिये,
- (7) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक को डाक मतपत्र के साथ-साथ निम्नलिखित सामग्री भी भेजेगा :-

क्र. सं.	सदस्य पद के निर्वाचन के लिए
1.	निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्ररूप (परिशिष्ट-1 के अनुसार)
2.	छोटा लिफाफा - 'क' (परिशिष्ट-2 की स्लिप के अनुसार)
3.	बड़ा लिफाफा - 'ख' जिस पर रिटर्निंग अधिकारी का पता लिखा हो (परिशिष्ट-3 की स्लिप के अनुसार)
4.	निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश (परिशिष्ट-4 के अनुसार)

- (8) प्रत्येक अधिकारी, जिसकी देखरेख में या जिसकी मार्फत कोई डाक मतपत्र भेजा जाये, यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रेषिती को अविलम्ब सुपुर्द कर दिया गया है,
- (9) डाक मतपत्र द्वारा मत देने के हकदार ऐसे समस्त निर्वाचकों को मतपत्र जारी कर दिये जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों के जारी करने के सम्बन्ध में उपयोग में लाई गई निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति को एक पैकेट में सील कर देगा, जिस पर उसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण, वार्ड का नम्बर और वह तारीख जिस दिन वह इसे सील करे, अभिलिखित करेगा,
- (10) कोई निर्वाचक, जिसे डाक मतपत्र प्राप्त हो गया है और जो मत देना चाहता है, 'निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश' में विहित अनुदेशों के अनुसार मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् उसे छोटा लिफाफा 'क' में सुरक्षित रखकर बन्द कर देगा व इस छोटे लिफाफे के साथ 'निर्वाचक द्वारा घोषणा', जिस पर उसके हस्ताक्षर किसी राजपत्रित अधिकारी या जेल के भारसाधक अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो, को बड़े लिफाफा 'ख' में बन्द करके रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा,
- (11) मतगणना में वे ही डाक मतपत्र शामिल किये जाएंगे जो मतगणना प्रारम्भ करने के लिये निश्चित समय तक रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे।
- (12) राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 64-ए के अंतर्गत मतगणना के समय रिटर्निंग अधिकारी निवारक निरोध में निरुद्ध मतदाताओं से प्राप्त हुए डाक मतपत्रों की संवीक्षा करेगा और उन्हें नामंजूर करेगा, यदि :-
- (क) इस आदेश के खण्ड (10) में उल्लिखित 'निर्वाचक द्वारा घोषणा' बड़ा लिफाफा 'ख' में छोटा लिफाफा 'क' के साथ प्राप्त न हो, या
- (ख) 'निर्वाचक द्वारा घोषणा' सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या अनुप्रमाणित न हो अथवा अन्यथा अन्य किसी उचित कारणों से त्रुटिपूर्ण हो, या
- (ग) डाक मतपत्र का लिफाफा निश्चित समय की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ हो, या
- (घ) उपरोक्त नियमों के नियम 64 में निर्दिष्ट एक या अधिक कारणों से मतपत्र नामंजूर किया जा सकेगा परन्तु उपरोक्त डाक मतपत्र इस कारण नामंजूर नहीं किया जायेगा कि उस पर मत अभिलिखित करने वाला चिन्ह निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है, किसी भी अभ्यर्थी के खाने में, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है। बालपेन या स्याही से "X" (क्रॉस) अथवा "✓" (राइट टिक) के चिन्ह का अंकन पर्याप्त होगा,
- (13) रिटर्निंग अधिकारी डाक मतपत्र द्वारा दिये गये प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मतों की इस प्रकार गणना करके उनके द्वारा प्राप्त किये गये कुल विधिमान्य मतों में जोड़ेगा।

भवदीय,

 (राजेश वर्मा)
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
 एवं सचिव
 दिनांक :- 05.02.2026

क्रमांक: एफ. 1(4)(1) नपा/रानिआ/14/1419-1424

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
- ✓ 5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को समस्त संबंधितों को ई-मेल करवाने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।

8
 05.02.2026
 (अम्बालाल मीणा)
 उप सचिव

निर्वाचक द्वारा घोषणा

*नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम के लिये निर्वाचन

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वही निर्वाचक हूँ जिसे उपर्युक्त *नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम के वार्ड संख्या के निर्वाचन के लिये क्रम संख्या वाला डाक मतपत्र जारी किया गया है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

तारीख—

पता —

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

उपर्युक्त पर श्री (निर्वाचक) द्वारा, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ/जिनकी पहचान श्री (पहचानकर्ता) ने की है, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ मेरे समाधान पर्यन्त मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये हैं।

पहचानकर्ता, यदि कोई हो, के हस्ताक्षर

पता

अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम हस्ताक्षर

पदनाम —

पता —

तारीख —

* जो लागू ना हो उसे काट दे।

लिफाफा - क

मतगणना से पूर्व नहीं खोला जाना है

*नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम के वार्ड सं. के लिये
निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र की क्रम संख्या

* जो लागू ना हो उसे काट दे।

लिफाफा - ख

प्रत्येक अधिकारी, जिसकी देखरेख में या जिसकी मार्फत कोई डाक मतपत्र भेजा जाये,
यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रेषिती को अविलम्ब सुपुर्द कर दिया गया है

निर्वाचन-तुरन्तडाक मतपत्र

*नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम के वार्ड सं. के लिये
निर्वाचन

(मतगणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)

सेवामें,

रिटर्निंग आफिसर

.....
.....

भेजने वाले के हस्ताक्षर

* जो लागू ना हो उसे काट दे।

*नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम के सदस्यों के लिये निर्वाचनों के लिए

निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश

इसके साथ भेजे गये मतपत्रों पर जिन व्यक्तियों के नाम छपे हैं वे उक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हैं। यदि आप मत देना चाहते हैं तो आपको अपना मत नीचे भाग 1 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अभिलिखित करना चाहिये तथा इसके बाद भाग-2 में विस्तृत रूप से दिये गये अनुदेशों का अनुसरण करना चाहिये।

भाग-1 निर्वाचकों के लिये निर्देश

- (क) निर्वाचित किये जाने वाले पदों की संख्या दो है। आपको प्रत्येक पद के लिए केवल एक मत देना है।
- (ख) यदि आप किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देना चाहते हैं तो मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नामों के पश्चात् अंतिम पैनल में अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) को मत दे सकते हैं।
- (ग) आपको एक से अधिक उम्मीदवारों को मत नहीं देना चाहिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मत-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (घ) अपना मत, उस उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे आप मत देना चाहते हैं बालपेन या स्याही से "X" (क्रॉस) अथवा "✓" (राइट टिक) का स्पष्ट चिन्ह लगाकर अभिलिखित करें।
- (ङ) चिन्ह इस प्रकार लगाया जाय जिससे स्पष्ट रूप से तथा निःसन्देह यह पता चल जाये कि आपने किस उम्मीदवार को मत दिया है। यदि आपने चिन्ह इस प्रकार लगाया है जिससे यह स्पष्ट ना हो कि आपने किस उम्मीदवार को मत दिया है, तो वह मत अविधिमान्य हो जायेगा।
- (च) आपका मत गुप्त है। आपको मतपत्र पर अपने हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये या इस पर अन्य ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं लगाना चाहिये जो आपकी पहचान को प्रकट करे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

भाग-2 निर्वाचकों के लिये अनुदेश

- (क) मतपत्र पर, अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् इस मतपत्र को इसके साथ-साथ भेजे गये एक छोटे लिफाफे जिस पर 'क' अंकित है, में रख दीजिये। लिफाफे को बन्द कर दें तथा इस पर मुहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर लें।
- (ख) इसके पश्चात्, आपको इसके साथ भेजे प्ररूप में एक घोषणा पर भी किसी ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं जो आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिये सक्षम हैं। ऐसा अधिकारी, राजपत्रित होना चाहिये या उस जेल का भार-साधक अधिकारी होना चाहिये जहां कि आप निरुद्ध हैं। वह अधिकारी आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करेगा तथा आपको घोषणा वापिस कर देगा। आपको अपना मतपत्र अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी को नहीं दिखाना चाहिये और न ही उससे यह कहें कि आपने किस प्रकार का मत दिया है।
- (ग) मद (ख) के अनुसार आपकी घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् तथा आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो जाने के पश्चात् प्ररूप में की गई घोषणा तथा छोटे लिफाफे 'क' जिसमें मतपत्र रखे गये हैं, एक बड़े लिफाफे जिस पर 'ख' अंकित है, में रख दीजिये। बड़े लिफाफे को बन्द करने के पश्चात् इसे रजिस्ट्रीकृत डाक या किसी संदेशवाहक द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेज दीजिये।
- (घ) आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि यह लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास (तारीख) को बजे से पूर्व पहुँच जाये।
- (ङ) कृपया नोट करें कि -
 - (1) यदि आप अपनी घोषणा को उपदर्शित रीति से अनुप्रमाणित या प्रमाणित करवाने में असफल रहते हैं तो आपका मत-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा, और
 - (2) यदि आपका लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास (तारीख) को बजे के पश्चात् पहुँचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जायेगी।